कार्यालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक/स्टेनो/2021/195 दिनाँकः-08.07.2021

-कार्यालय आदेश-

बजट घोषणा वर्ष 2021-2022 के बिंदु सं. 287 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(5) वित्त/आब/2020 जयपुर दिनाँक 10.03.2021 द्वारा राजस्थान आबकारी विभाग में स्वीकृत आबकारी वृतों तथा आबकारी निरोधक दलों का पुनर्गठन किया जाने की पालना में आबकारी आयुक्त, राजस्थान ने अपने आदेश क्रमांक प.(ए) (4)संस्था/ पुनर्गठन/आब./2020/152 दिनाँक 30.04.2021 के द्वारा आबकारी जिला झुन्झुनू में निम्न अनुसार आबकारी वृत्तों एवं आबकारी थानों का पुनर्गठन किया जाने के फलस्वरूप तथा विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांकः-प.1(1)न्याय/2021 जयपुर दिनाँक 26.05.2021 के द्वारा झुन्झुनू न्यायक्षेत्र में झुन्झुनू मुख्यालय पर न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू नवसृजित किया जाने पर मैं इन्दिरा बनेरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में झुन्झुनू जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन के लिए समय-समय पर जारी आदेशों को अतिलंघित करते हुए आज दिनाँक 08.07.2021 से जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन हेतु निम्नानुसार स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करती हूँः-

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	
	झुन्झुनू मुख्यालय		
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	1	पुलिस थाना कोतवाली एवं बगड़ के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण
		2	संपूर्ण जिले में उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, चिटफंड अधिनियम, बीज अधिनियम, P.C.P.N.D.T. Act, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, राजकीय विभागों की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद तथा अन्य केन्द्रीय व राज्य अधिनियमों के तहत प्रकरण जहाँ क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में ही निहित हैं।
2	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	1	पुलिस थाना सदर झुन्झुनू व महिला थाना झुन्झुनू के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से

			भिन्न प्रकरण)।
		2	जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा दर्ज कराये जाने वाले मोटर वाहन अधिनियम के तहत समस्त प्रकरण।
		3	पुलिस थाना मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ में उत्पन्न होने वाले धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण।
3	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	1	पुलिस थाना मंडावा, पुनर्गठित आबकारी थाना झुन्झुनू व यातायात थाना झुन्झुनू के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
4	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	1	पुलिस थाना बिसाऊ व मलसीसर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
नवलगढ़ मुख्यालय			
5	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	1	पुलिस थाना नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण। (ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ के क्षेत्राधिकार व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		2	पुनर्गठित आबकारी थाना नवलगढ़
6	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नवलगढ़	1	पुलिस थाना नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।
उदयपुरवाटी मुख्यालय			
7	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,	1	पुलिस थाना उदयपुरवाटी के क्षेत्राधिकार में

	उदयपुरवाटी		उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
		2	पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी में उद्भूत होने वाले धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण।
8	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	1	पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
	पिलानी मुख्यालय		
9	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी	1	पुलिस थाना पिलानी के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
		2	पुलिस थाना चिड़ावा, मंड्रेला और सूरजगढ़ के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण।
10	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी	1	पुलिस थाना मंड्रेला, सूरजगढ़ में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		2	पुनर्गठित आबकारी थाना सूरजगढ़
	चिड़ावा मुख्यालय		
11	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	1	पुलिस थाना चिड़ावा में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
	खेतड़ी मुख्यालय		
12	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	1	पुलिस थाना खेतड़ी में उद्भूत होने वाले

			समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
		2	पुनर्गठित आबकारी थाना खेतड़ी
		3	पुलिस थाना बुहाना, सिंघाना, पचेरी कलां, खेतड़ी नगर में उद्भूत होने वाले धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण।
13	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	1	पुलिस थाना खेतड़ी नगर व सिंघाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
बुहाना मुख्यालय			
14	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना	1	पुलिस थाना बुहाना व पचेरी कलां में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
		2	पुनर्गठित आबकारी थाना बुहाना

नोटः–जहाँ पर क्षेत्राधिकार के संबंध में अतिलंघता की स्थिति है वहाँ वरिष्ठतम श्रेणी के न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा और जहाँ दो न्यायालयों के बीच में क्षेत्राधिकार बाबत् संदिग्धता है वहाँ भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार वरिष्ठतम न्यायालय को होगा। इसके उपरांत भी क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर, प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू को होगा।

sd/-
(इन्दिरा बनेरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक/स्टेनो/2021/ 224 दिनाँकः–08.07.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।

4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू (समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत्)।
5. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/नवलगढ़/उदयपुरवाटी/पिलानी /खेतड़ी।
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/चिड़ावा/पिलानी/बुहाना/खेतड़ी/उदयुपरवाटी।
7. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नवलगढ़।
8. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू।
9. जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनू (समस्त आबकारी वृतों एवं थानों को सूचित करने बाबत्)।
10. जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनू।
11. पुलिस थाना पी.बी.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर।
12. अध्यक्ष बार संघ, झुन्झुनू/चिड़ावा/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़/खेतड़ी/ बुहाना।
13. कोर्ट मैनेजर, उपरोक्त सभी को ई–मेल करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड।
15. संबंधित पत्रावली।

(इन्दिरा बनेरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू (राज.)

कार्यालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक/स्टेनो/2021/233 दिनाँकः-14.07.2021

-संशोधित कार्यालय आदेश-

बजट घोषणा वर्ष 2021-2022 के बिंदु सं. 287 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(5) वित्त/आब/2020 जयपुर दिनाँक 10.03.2021 द्वारा राजस्थान आबकारी विभाग में स्वीकृत आबकारी वृतों तथा आबकारी निरोधक दलों का पुनर्गठन किया जाने की पालना में आबकारी आयुक्त, राजस्थान ने अपने आदेश क्रमांक प.(ए)(4)संस्था/ पुनर्गठन/आब./2020/152 दिनाँक 30.04.2021 के द्वारा आबकारी जिला झुन्झुनू में आबकारी वृत्तों एवं आबकारी थानों का पुनर्गठन किया जाने के फलस्वरूप मुझ इन्दिरा बनेरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में झुन्झुनू जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन के लिए जारी आदेशों को अतिलंघित करते हुए दिनाँक 08.07.2021 से जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन हेतु स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करने के संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक/स्टेनो/2021/195 दिनाँक 08.07.2021 जारी किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश क्रमांक/स्टेनो/2021/195 दिनाँक 08.07.2021 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत रहेगाः-

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	
	चिड़ावा मुख्यालय		
01	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	1	पुलिस थाना चिड़ावा में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
		2	पुनर्गठित आबकारी थाना चिड़ावा

SD

(इन्दिरा बनेरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक/स्टेनो/2021/262 दिनाँकः-14.07.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।

4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू (समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत्)।
5. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/नवलगढ़/उदयपुरवाटी/पिलानी/खेतड़ी।
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/चिड़ावा/पिलानी/बुहाना/खेतड़ी/उदयुपरवाटी।
7. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नवलगढ़।
8. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू।
9. जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनू (समस्त आबकारी वृतों एवं थानों को सूचित करने बाबत्)।
10. जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनू।
11. पुलिस थाना पी.बी.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर।
12. अध्यक्ष बार संघ, झुन्झुनू/चिड़ावा/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़/खेतड़ी/बुहाना।
13. कोर्ट मैनेजर, उपरोक्त सभी को ई–मेल करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड।
15. संबंधित पत्रावली।

(इन्दिरा बनेरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू (राज.)

<u>कार्यालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू (राज.)</u>

क्रमांक/स्टेनो/2021/284 दिनाँकः-26.07.2021

-संशोधित कार्यालय आदेश-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्टेनो/2021/195 दिनाँक 08.07.2021 के द्वारा झुन्झुनू न्यायक्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजित किया गया था।

उक्त कार्यालय आदेश क्रमांक/स्टेनो/2021/195 दिनाँक 08.07.2021 में क्रम संख्या 13 पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी को सिंघाना पुलिस थाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी के क्षेत्राधिकार के भिन्न प्रकरण) की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान किया था।

अतः उक्त कार्यालय आदेश क्रमांक/स्टेनो/2021/195 दिनाँक 08.07.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए सिंघाना पुलिस थाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी के क्षेत्राधिकार के भिन्न प्रकरण) का क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना को प्रदान किया जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sd
(इन्दिरा बनेरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक/स्टेनो/2021/308 दिनाँकः-26.07.2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू (समस्त पुलिस उपाधीक्षकों एवं थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत्)
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झुन्झुनू/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/बुहाना/चिड़ावा
5. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नवलगढ़
6. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू
7. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, झुन्झुनू/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़/बुहाना /चिड़ावा
8. सहायक निदेशक अभियोजन, झुन्झुनू।
9. कोर्ट मैनेजर, उपरोक्त सभी को E-mail करने हेतु।
10. कार्यालय प्रति।

(इन्दिरा बनेरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू (राज.)